राज्य बाल संरक्षण समिति
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक/5225/मबावि/आईसीपीएस/15–16 रायपुर, दिनांक 26.09.2015

"विज्ञापन"

किशोर न्याय (बालक देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 के अंतर्गत खुला आश्रय गृह की स्थापना व संचालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव का आमंत्रण

किशोर न्याय (बालक देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 के अंतर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अल्पकालिक आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से छत्तीसगढ़ के चयनित जिलों में खुला आश्रय गृह की स्थापना के लिए पंजीकृत अशासकीय संस्थायें/स्वैच्छिक संगठन जो बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हो और देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों अथवा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण के क्षेत्र में अनुभव रखते हो तथा जो वित्तीय रूप से भी सक्षम हो, से **आश्रय गृह (प्रत्येक गृह की क्षमता 25 बच्चों की होगी) संचालन हेतु दिनांक 12 अक्टूबर 2014 तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं ।**

खुला आश्रय गृह (बालक) – महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद एवं में रेल्वे स्टेशन/बस स्टैंड के निकट यह आश्रय गृह स्थापित करना होगा।
खुला आश्रय गृह (बालिका) – सुकमा, कोरिया, रायपुर, राजनांदगांव एवं बिलासपुर मुख्यालय में रेल्वे स्टेशन/बस स्टैंड के निकट यह आश्रय गृह स्थापित करना होगा।
बालक एवं बालिका दोनों के लिए पृथक पृथक संस्थायें संचालित होंगी। बच्चों के लिए खुला आश्रय गृह **(Open Shelter Home for Children)** की स्थापना एवं संचालन हेतु इच्छुक संस्थायें संबंधित जिले के कलेक्टर/जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास/जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सभी दस्तावेज एवं विवरण सहित आवदेन प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन पत्र की एक अग्रिम प्रति संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाना होंगा। आश्रय गृह की स्थापना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश/मापदण्ड एवं आवेदन का प्रारूप संबंधित जिलों के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय अथवा www.cgstate.gov.in तथा महिला एवं बाल विकास विभाग (www.cgwcd.gov.in) के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है।

टीप :– संस्थाओं की स्थापना का प्रस्ताव भारत शासन को भेजा गया है उक्त स्वीकृति के प्रकाश में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति
एवं संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
रायपुर–छत्तीसगढ़

ANNEXURE VIII - OPEN SHELTERS FOR CHILDREN IN NEED FOR URBAN & SEMI-URBAN AREAS

1. FINANCIAL SUPPORT FOR A UNIT OF 25 CHILDREN

S.N.	ITEM	AMOUNT (IN RS.)
A. Non-recurring Expenditure (once in five year)		
1.	Furniture including mattresses for children, 25 steel lockers, cupboards, tables and chairs etc.	1,50,000
2.	Two Computers with UPS (including cost of software license) and with printer cum scanner	90,000
3.	One Color Television	15,000
4.	Equipments for sports, entertainment, vocational training and kitchen along with utensils, gas stove, water filter, etc.	2,50,000
	Total	**5,05,000**
B. Recurring Expenditure (per annum)		
5.	Maintenance @ Rs. 2000 per child per month (food, @ Rs. 1400 and Rs. 600 for clothing, medicine, soap, oil, etc.)- (Rs.2000 x 25 children x12 months)	6,00,000
6.	Rent for hired building or maintenance for self-owned building for:	
	(a) Open Shelters @ Rs. 17,500 per month (Subject to actuals)[1]	2,10,000
	(b) Three Contact Points @ Rs. 2,600 per month (Subject to actuals)[2]	93,600
7.	Water and electricity charges @ Rs. 2,600 per month (subject to actuals)	31,200
8.	Contingencies (postage, stationary, telephone, photocopy etc.) @ Rs. 2,600 per month	31,200
9.	Transportation charges @ Rs. 2,600 per month	31,200
10.	Miscellaneous for outings, books for library, play materials, educational/sports equipments, etc. @ Rs. 4,000 per month (subject to actuals)	48,000
11.	**Salary:**	
	One Project Coordinator cum Counsellor @ Rs. 17,500 per month	2,10,000
	One Social Worker @ Rs. 14,000	1,68,000
	Two Care Givers cum Bridge Course Educators @ Rs. 9,000 per month	2,16,000
	Three Outreach Workers[3] @ Rs. 8,000 per month	2,88,000

S.N.	ITEM	AMOUNT (IN RS.)
	One Helpers for cleaning and cooking purposes @ Rs. 6,000 per month	72,000
	Total	**19,99,200**
	Total (A+B)	**25,04,200**

[1]In Metro cities (Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, Bangalore and Hyderabad) @ Rs.35,000 per month.

[2]In Metro cities (Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, Bangalore and Hyderabad) @ Rs.5,000 per month. With support of DCPU, the voluntary organization running these contact points should make efforts to arrange for free accommodation for contact points at railway stations, bus stands and other public places.

[3]Number of Outreach Workers and Contact Points can be increased up to a maximum of five depending on the geographical area and number of children to be catered to by the program

Note:

a) The financial support is provided for 25 children utilizing the services at night as well. During the day there would more children utilizing the services of the Open Shelters for intermittent periods. For Children availing services only during the day, a maintenance amount of Rs 1000 per child per month will be provided. Apart from the above, NGOs are encouraged to enroll the support of volunteers and raise funds from other sources to run the Open Shelters.

b) Any request for non-recurring component, in the interim period, may be provided if approved by the Project Approval Board (PAB).

बाल गृह/आश्रय गृह/खुला आश्रय गृह एवं दत्तक ग्रहण स्थापन एंजेसी की स्थापना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

.....

.....

.....

आश्रय गृह हेतु प्रस्तावित शहर :– .....

1. आवेदित संस्था का नाम :– .....

2. **संस्था का पंजीकरण संख्या तथा किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है ।**
:– .....

3. स्थायी पता :–.....
.....

4. (पत्र व्यवहार का पता) :– .....
दूरभाष/मोबाईल :– .....

5. संस्था का प्रयोजन
   - बालक देखरेख एवं संरक्षण ☐
   - बालिका देखरेख एवं संरक्षण ☐
   - अन्य आवश्यकता वाले बच्चों का देखरेख व संरक्षण ☐
   - बालक /बालिका से जुडे अन्य विषय ☐

6. क्या संस्था जे.जे. रूल के तहत निर्धारित ढॉचागत व्यवस्था का अनुपालन करती है :– हॉ ☐
नहीं ☐

7. संस्था में कार्यरत कर्मचारी संबंधी विवरण

क्रमांक	कर्मचारी का नाम/पदनाम	उपलब्धता	अनुपलब्धता
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

8. जे.जे. रूल 2007 के अंतर्गत निम्न शर्तों का पालन किये करते हैं/करेंगे

सफाई एवं शौचालय की व्यवस्था ☐

- कपड़े एवं विश्राम की व्यवस्था ☐
- भोजन की व्यवस्था ☐
- चिकित्सकीय व्यवस्था (मासिक चिकित्सकीय जॉच) ☐
- शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था ☐
- मनोरंजन की व्यवस्था एवं ☐
- संस्था में निवासरत बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के रिकार्ड मेन्टेनेन्स एवं एवं उनके संरक्षण की व्यवस्था ☐

9. निम्न लिखित संलग्नों के साथ आवेदन करें :–

1. **संस्था के पंजीकरण, बॉयलॉज एवं पदाधिकारियों की प्रमाणित प्रति**
2. **संस्था के तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति**
3. **संस्था के वर्तमान गतिविधियों का विस्तृत विवरण, अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान एवं ऋण इत्यादि का विवरण ।**
4. **संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण उपरोक्त कंडिका–7 अनुसार**
5. **बच्चों को रखने हेतु आपके पास क्या व्यवस्था है /प्रस्ताव ।**
6. **जे.जे. रूल के अनुसार आवश्यक प्रावधान का विवरण संलग्न है । संस्था के लेटर हेड में इन प्रावधानों का पालन करने का वचन पत्र प्रस्तुत करें ।**

आवेदक के हस्ताक्षर
पदनाम एवं मुहर

घोषणा–पत्र

संगठन की प्रबंधन के तरफ से, मै यह घोषणा करता/करती हूं कि आवेदक संस्था गृह के सभी शर्तो जो किशोर न्याय (बालक देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत विदित है, को पुरी तरह से अनुपालन करने हेतु सहमत है। हमारे द्वारा विश्वास दिलाया जाता है कि संस्था किशोर न्याय अधिनियम 2000/2006 एंव किशोर न्याय नियम 2007 के अधीन दिए गये शर्तो का अनुपालन करेगी तथा सभी तरह की सूचनाओं/प्रतिवेदनों/प्रमाणो को प्रस्तुत करने हेतु सहमत रहेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर
पदनाम एवं मुहर

स्थान – ——————————
दिनांक – ——————————